बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधीन बेसिक ग्रेड के निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र॰ सं॰	विज्ञापन सं॰	पदनाम	रिक्तियों की कोटिवार संख्या						
			सामान्य कोटि (01)	अनुसूचित जाति (02)	अनुसूचित जनजाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़ा वर्ग की महिला (06)	कुल रिक्त पद
1.	08/2012	मानसिक रोग विशेषज्ञ/मनोचिकित्सक	10	03	––	03	02	01	19
2.	09/2012	चर्म रोग विशेषज्ञ	38	12	01	13	09	02	75
3.	10/2012	ई॰एन॰टी॰ विशेषज्ञ	66	21	01	23	16	04	131
4.	11/2012	नेत्र रोग विशेषज्ञ	34	11	01	12	08	02	68
5.	12/2012	माइक्रोबायोलाजिस्ट	10	03	––	04	02	01	20
6.	13/2012	पैथोलॉजिस्ट	27	08	01	09	06	02	53
7.	14/2012	रेडियोलॉजिस्ट	71	23	01	26	17	04	142
8.	15/2012	जेनरल फिजिशियन/फिजिशियन विशेषज्ञ	68	22	01	24	16	04	135

2. उक्त अनुमान्य पदों में से विकलांगों को 3% आरक्षण देय होगा।
3. **वेतनमान** – वि॰सं॰ 08/2012 से वि॰सं॰ 15/2012 तक के लिए – 9,300–34,800/– रू॰, ग्रेड पे 5400/– रू॰।
4. **वि॰सं॰ 08/2012 से वि॰सं॰ 15/2012 तक के लिए शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण** :–

(क) उम्मीदवार अनिवार्य रूप से किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम॰बी॰बी॰एस॰ एवं सम्बन्धित विशेषज्ञता वाले विषय यथा; मानसिक रोग विशेषज्ञ/मनोचिकित्सक, चर्म रोग विशेषज्ञ, ई॰एन॰टी॰ विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, माइक्रोबायोलाजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एवं जेनरल फिजिशियन/फिजिशियन विशेषज्ञ में स्नातकोत्तर या समकक्ष की योग्यता सम्बन्धी डिग्री, जिसे एम॰सी॰आई॰ (M.C.I.) द्वारा मान्यता (Recognition) प्रदान किया गया हो, धारित करत हों तथा बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट, 1916 के अन्तर्गत स्थाई रूप से निबन्धित हो।

(ख) प्रशिक्षण एवं अनुभव :– भारतीय चिकित्सा परिषद (M.C.I.) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 (बारह) माह का अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन्टर्नशीप में एक दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो।

5. **उम्र सीमा** – दिनांक 01.10.2012 को अधिकतम, अनारक्षित – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 342(2), दिनांक 21.03.2011 द्वारा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए और राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यहित में उक्त निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्गों के लिए समान रूप से सिर्फ एक बार के लिए तीन वर्षो की छूट देने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इस छूट के बाद दिनांक 01.10.2012 को अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी:–

(क) अनारक्षित वर्ग – 40 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 43 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 43 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 45 वर्ष।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में; बिहार सरकार के सरकारी सवकों, जो तीन वर्षो की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए उक्त अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षो की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षो की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग क समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

6. **अनुशंसा का आधार** – लिखित परीक्षा एवम् साक्षात्कार के आधार पर। मेधा सूची लिखित परीक्षा एवम् साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार को जायेगी।

परीक्षा एवं साक्षात्कार का स्वरूप निम्नवत् है:–

लिखित परीक्षा में 100–100 अंकों के पाँच पत्र होंगे। हरेक पत्र दो घंटे का होगा।

पत्र				अंक
प्रथम पत्र	औषधि (मेडिसिन) सामान्य	–		100
द्वितीय पत्र	1. शिशु रोग (पेडियेट्रिक्स)	–	40	100
	2. शिशु कल्याण एवं परिवार नियोजन सहित निवारक औषधि (प्रिवेन्टिव मेडिसीन) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य	–	60	
तृतीय पत्र	1. शल्य चिकित्सा (सर्जरी) सामान्य	–	60	100
	2. आर्थोपेडिक सहित विकलांग विज्ञान (आर्थोपेडिक्स)	–	40	
चतुर्थ पत्र	1. आंख, कान, नाक, गला (नेत्र विज्ञान एवं कर्ण, नासा, स्वर यंत्र विज्ञान)	–	50	100
	2. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान	–	50	

पंचम पत्र के रूप में सम्बन्धित विशेषज्ञता वाले विषय के एक पत्र की अलग से परीक्षा ली जायेगी जो 100 अंकों का होगा।

मौखिक परीक्षा – 40 अंक

केवल वे ही उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये जायेंगे जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करेंगे। रिक्तियों के ढाई गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाने का प्रावधान है बशर्त्ते कि वे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक – 6706, दिनांक – 01.10.2008 द्वारा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिये लिखित परीक्षा (प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र, चतुर्थ पत्र एवम् विशेषज्ञता वाले विषय) में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक, यथा; सामान्य श्रेणी – 40%, पिछड़ा वर्ग – 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 34% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवार – 32% अंक, प्राप्त करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1074(2), दिनांक 25.06.2008 के आलोक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु रिक्ति/रिक्तियों के विरूद्ध अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आयोग सीधे साक्षात्कार के माध्यम से उक्त विज्ञापित विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन कर सकेगा, जिसकी प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित की जाएगी।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश/आवेदन प्रपत्र

7. प्रविष्टि:

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोट कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरे, जैसेः–

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

रि	न	ग	धा		

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) **क्रमांक 8(i) ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन** 'प्राप्तांक/'पूर्णांक **एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 11 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 12 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

8. फोटोग्राफ:

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

9. लिफाफा:

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) **विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, एम॰बी॰बी॰एस॰ डिग्री प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) एवम् विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।**

शैक्षिक योग्यता/प्रशिक्षण के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय/अस्पताल/संस्थान द्वारा निर्गत उपाधि/इन्टर्नशीप प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उम्मीदवारों को सम्बन्धित महाविद्यालय/अस्पताल/संस्थान के सक्षम प्राधिकार का यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र में सम्बन्धित महाविद्यालय/अस्पताल/संस्थान को एम॰सी॰आई॰ **(M.C.I.) द्वारा मान्यता (Recognition) प्रदान किया गया ह। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iii) **16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25–25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

10. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जा बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं॰ 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

11. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/– (पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 125/– (एक सौ पचीस) रूपये तथा अन्य के लिए 300/– (तीन सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 350/– (तीन सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाए। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।**

12. अन्य:

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

13. अंतिम तिथि:

(i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि सोमवार, दिनांक 12.11.2012 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना